फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– 281/2021

## बदरी बनाम सरकार

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 11.09.2024 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। बहस सुनी गया। वास्ते आदेश दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू(जयपुर) | |
| 01.10.2024 | पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। जवाब सरकार पेश हो चुका है। वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू का घोषणा खातेदारी हेतु इस्तदुआ की है।<br><br>वादीगण ने वाद राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया है एवं अनुतोष भी राज्य सरकार से चाहा है, इसलिए वादीगण को धारा 80 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।<br><br>अतः गुणावगुण पर विचार किये बिना वाद धारा 80 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। धारा 80 सीपीसी की पालना के साथ वाद पुनः पेश करने की अनुमति रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू(जयपुर) | |